

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 173 / 2023

उनवान

ज्ञानचंद

बनाम

श्री

रुक्मिणी देवी

पारा

53, 56

प्रा0पत्र / राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
31/10/23	बाद जॉच वाद / प्रार्थना पत्र / ईजराय / अपील पेश हुई. दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 30/11/23 को पेश हो।	
30/11/23	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 29/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा आदेश से रीडर	
29/11/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 27/11/24 को पेश हो। आदेश से रीडर	
28/03/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 29/03/24 को पेश हो। आदेश से रीडर	
29/7/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 12/11/24 को पेश हो। आदेश से रीडर	

तारीख  
हस्ता

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म को तामील  
में जारी हुए

28-08-25 पयावली पेश | वादी व वादी  
अधिकरता उपस्थित नहीं | वादी  
व वादी अधिकरता को लीन कर  
भाषाज लगायी गयी | पत्र उफली  
उए ही अतः वादी वा वाद  
अन्तर्गत धारा 53 RJA 1955  
वादी की अदम हाभरी व  
वादी की अधिकरता की अदम  
पैरवी मे एकरिज डिमा जाता है  
पयावली फेशल सुमार हो 32  
नम्बर से 32 है।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
बीजवाड़ा